



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:mel-ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- MP/DRG/Lst-41/NGP

दिनांक -02/1/2019

प्रेषित- श्री अजय कपूर, नामित मालिक

अंबुजा सीमेंट लि.

पोस्ट-रवान, तहसील - बलोदा बाजार

जिला- बलोदा बाजार(सी.जी.)-493331

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाजार जिले में स्थित आपकी रवान चूना खदान 420.953 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 14.11.2018 by undersigned accompanied by Shri Bhavin Shutar, Mine Manager & Shri Digendra Singh Solanki, Mining Geologist.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	<p>Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. राय/चूना/खयो-135/नाग/2015/13-रायपुर dated 04.08.2016 and following deviation was observed during inspection</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. It was proposed that mineral reject generation in 2017-18 is 1.07 million tons but actually 98714 tons mineral reject generation reported which is less than 10% of proposal. 2. It was proposed to construct retaining wall all along the toe of the dump but during mine visit it was observed that proper retaining wall to arrest washed fines and rolling boulders not constructed.. 3. In 2017-18, 2000 nos plantation is proposed but only 1773 nos saplings plantation reported.
Rule 45	While scrutiny of the Annual return submitted for 2017-18 it is observed that mineral reject generation is shown 98714 MT but the grade of mineral reject is mentioned zero.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उलंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उलंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
 - (क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
 - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उलंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- 2 संचालक, भौतिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

